प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 416 वर्ष 2008

अपीलार्थी: 1. दिलसाई. 35 वर्ष, पिता श्री एतवा उराँव,

2. दिल कुमार, उम्र 29 वर्ष, पिता श्री अटवा उराँव,

दोनों निवासी ग्राम बेलकोटा,पुलिस थाना सीतापुर,तहसील सीतापुर,जिला सरगुजा,(छ.ग)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ,(छ.ग.)

और

दाण्डिक अपील संख्या 417 वर्ष 2008

अपीलार्थी: ब्रिजेश तिवारी, उम्र 28 वर्ष, पिता श्री शिवब्रत तिवारी, ग्राम बेलकोटा,थाना बटौई, जिला.सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, थाना अम्बिकापुर, जिला सरगुजा ,(छ.ग.)

{दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दाण्डिक अपील}

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

श्री एस.सी. दत्त, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ में उपस्थित,श्री एस.सी.वर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता दाण्डिक अपील संख्या 416/2008

श्री अविनाश के. मिश्रा, दाण्डिक अपील संख्या 417/2008 में अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री सुशील दुबे, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए शासकीय अधिवक्ता।

एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी.शर्मा,न्यायाधीश

मौखिक निर्णय (18-11-2008)

1 इस अपील के द्वारा अपीलार्थी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 58/2003 में दिनांक 7-4-2008 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता एवं औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को बलात्कार एवं षडयंत्र के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराते हुए आरोपी दिलसाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (1) एवं 120बी के अंतर्गत दोषी

ठहराया था तथा उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया था। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के लिए और सक्षम कारावास भुगतना होगा। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दिल कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के साथ सहपठित धारा 120(वि) के तहत भी सिद्धदोष पाया है उसे सात वर्ष के सक्षम कारावास और 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह के लिए और सक्षम कारावास भुगतना होगा।

2. अन्य अभियुक्त बृजेश तिवारी पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 376,468,120(वि),506 भाग-III एवं धारा 3(2)(v) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया। विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के साथ सहपठित धारा120(वि) के अंतर्गत सिद्धदोष पाया गया तथा सात वर्ष के कारावास एवं 200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर उसे विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 14/2003 के अंतर्गत दिनांक 7-4-2008 के निर्णय के तहत एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त बृजेश तिवारी ने भी दाण्डिक अपील क्रमांक 417/2008 दायर की है।

3. चूंकि दोनों अपीलें अर्थात दाण्डिक अपील संख्या 416/2008 और 417/2008 एक ही घटना से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा सुना और निपटाया जा रहा है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि अभियोक्त्री (अ.सा-2) वर्ष 2002 में लगभग 19 वर्ष की थी। 11-5-2002 को वह अपने नाना सेमन एक्का के घर नमनाकला गई थी। आरोपी बृजेश तिवारी अपने पिता के साथ वहां आया और अपने नाना के क्वार्टर को देखा। 13-5-2002 को, आरोपी बृजेश तिवारी, आरोपी दिलसाय और दिल कुमार के साथ दो मोटरसाइकिलों से उसके नाना के घर आए और उसे बताया कि उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने उसे बुलाया है, उन्होंने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, जिस पर अभियोक्त्री उनके साथ चली गई। वे उसे पुलिस लाइन, अंबिकापुर में स्थित पुलिस क्वार्टर में ले गए, जहां आरोपी दिल कुमार और बृजेश तिवारी ने उससे कहा कि वे कुछ समय बाद आएंगे और चले गए। आरोपी दिलसाय अभियोक्त्री के साथ घर में अकेली थी कुछ देर बाद आरोपी दिल कुमार और बृजेश तिवारी स्टाम्प पेपर और रजिस्टर लेकर आए और पांच स्थानों पर उसका हस्ताक्षर ले लिया और कहा कि अगर कोई पूछे तो वह कह दे कि वह उनकी बहन है, अगर वह उनका कहना नहीं मानेगी, तो वे उसे जान से मार देंगे। इसके बाद दोनों व्यक्ति चले गए। आरोपी दिलसाय जो उसी घर में रहता था, उसके साथ लगातार बलात्कार करता था और उसे अपने पिता के नाम पत्र लिखने के लिए भी मजबूर करता था। 18-7-2002 को अवसर का उपयोग करके वह पुलिस लाइन, अंबिकापुर स्थित घर से भाग गई और सीतापुर चली गई, उस समय वह डरी हुई थी और उसने 10-8-2002 को अपने पिता और माँ को घटना बताई। उसने 12-8-2002 को लिखित प्रतिवेदन प्रदर्श.डी-2 दर्ज कराई। प्रदर्श.डी-2 के आधार पर प्रदर्श.पी-1 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. अभियोक्त्री की चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रदर्श.पी-2 के तहत सहमति ली गई। अभियोक्ता को प्रदर्श.पी-4 के तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, अंबिकापुर भेजा गया। उसका परीक्षण डॉ. श्रीमती शशिकला जायसवाल (अ.सा-7) ने प्रदर्श.पी-6 के तहत की और उसने राय दी कि अभियोक्त्री संभोग की आदी थी। अभियोक्त्री की दो योनि स्लाइड तैयार की गईं और कांस्टेबल को सौंप दी गईं। अभियोक्त्री के पिता ऑगस्टीन तिर्की (अ.सा-9) ने भी प्रदर्श.पी-8 के तहत 1-6-2002 को लिखित प्रतिवेदन दर्ज कराई। प्रदर्श.पी-8 के आधार पर देहात पुलिस थाने में क्रमांक 0/2002 के तहत बिना नंबर की एफआईआर दर्ज की गई और प्रदर्श.पी-5 के तहत नंबर वाली एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी दिलसाय को भी प्रदर्श.पी-10 के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तहत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया जिसे डॉ जे.के.जैन (अ.सा-8) ने प्रदर्श.पी.-7 के तहत लैंगिक सम्भोग बनाने में सक्षम पाया गया। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श.पी.-11 के तहत तैयार किया गया। एफआईआर की प्रति प्रदर्श.पी.-12 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई।

6. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए, लेकिन अभियोजन पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 181 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए उपलब्ध नहीं था। परीक्षण पूरी होने के बाद, सत्र न्यायाधीश के समक्ष अभियोग पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने मामले को विशेष सत्र परीक्षण संख्या 14/2003 के साथ समरूप विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया।

7. अभियुक्तों का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोष होने मामले में झूठे फसाये जाने जाने का अभिवाल किया। उन्होंने अपने बचाव में मंजुल श्याम सिन्हा (ब.सा-1), प्रिसिदियस तिग्गा (ब.सा-2),एसआर भगत (ब.सा-3) और कृपानिधान पांडे (ब.सा-4)का परीक्षण किया है और बचाव किया है कि अभियोजन पक्ष, जो घटना के दिनांक को लगभग 19 वर्ष की थी, ने स्वेच्छा से दिलसाई के साथ विवाह किया और एक शपथ पत्र प्रदर्श.डी-4 पर हस्ताक्षर किया, उसने प्रदर्श.डी-1 के तहत पुलिस को एक पत्र भी लिखा और अपने पिता को भी सूचित किया, और उसके पिता ने भी दिलसाई को 5-6-2002 की तारीख का एक पत्र लिखा है जो प्रदर्श.डी-3 है। वह दिलसाई के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी। दिलसाई ने बलात्कार का कोई अपराध नहीं किया है: 1-6-2002 को, अभियोक्त्री के पिता ने पुलिस में एक प्रतिवेदन दर्ज कराई, जो रोजनामचा प्रदर्श.डी-8 में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि 24-5-2002 को दिलसाई और बृजेश तिवारी उनकी बेटी को अभियोक्त्री के नाना या उन्हें बताए बिना ले गए। अभियोक्त्री के माता पिता दिलसाई के साथ अपनी पुत्री से विवाह हो विचार नहीं थे। इसीलिए उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध मानघटित प्रकरण दर्ज किया है। अपना बयान दर्ज करने के लिए पेश नहीं किया है। अभियोक्त्री पर न्यायालय में अपना साक्ष्य दर्ज करने की तारीख पर दबाव था और उसने आरोपियों के खिलाफ झूठी गवाही दी है। दिलसाई ने कोई बलात्कार या षड्यंत्र पारित नहीं किया है और अन्य आरोपी व्यक्तियों दिल कुमार और बृजेश तिवारी ने अभियोक्ता को धमकी नहीं दी है, उन्होंने दिलसाई के साथ किसी भी षड्यंत्र में प्रवेश नहीं किया है। अभियोक्ता के पिता और माता अपनी बेटी की शादी दिलसाई के साथ करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आरोपियों के खिलाफ झूठा मामला गढ़ा है।

8. सुनवाई पूरी होने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त तरीके से दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और आक्षेपित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख अर्थात सत्र प्रकरण क्रमांक 58/2003 और विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 14/2003 का अवलोकन किया है।

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी दिलसाई ने बलात्कार का कोई अपराध नहीं किया है या अन्य सह-आरोपियों के साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा है और अन्य सह-आरोपी व्यक्ति, दिल कुमार और बृजेश तिवारी ने भी आरोपी दिलसाई के साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा है और न ही उन्होंने अभियोजन पक्ष को धमकी दी है या अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत दंडनीय कोई अपराध किया है। कथित घटना के समय अभियोजन पक्ष (अ.सा-2) की आयु लगभग 19 वर्ष यानी 18 वर्ष से अधिक थी, उसने स्वयं दिलसाई से स्वेच्छा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से विवाह किया है और एक शपथ पत्र निष्पादित किया है, वह दिलसाई के साथ पुलिस लाइन, अंबिकापुर स्थित क्वार्टर में रहा करती थी, आरोपी दिलसाई के साथ रहने के दौरान उसका आचरण सामान्य था, वह पड़ोसियों से मिला करती थी और वह क्वार्टर के बाहर स्थित नल से पानी भरती थी वह अपने नाना, पिता और माता की जानकारी में 13-5-2002 से 18-7-2002 तक यानी लगभग तीन महीने तक दिलसाय के साथ पुलिस लाइन, अंबिकापुर स्थित क्वार्टर में रही। उसके पिता ने भी 1-6-2002 को पुलिस थाना में प्रतिवेदन दर्ज कराई, पूछताछ हुई और अभियोक्त्री का बयान दर्ज किया गया। उसने अपना लिखित बयान प्रदर्श.डी-1 दिया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने दिलसाय से शादी कर ली है और वह दिलसाय के साथ पत्नी के रूप में रह रही है। उसने 13-5-2002 को एक शपथ पत्र दिया है। उसने अपने पिता को भी सूचित किया है और उसके पिता ने उसे और दिलसाय (प्रदर्श.डी-3) को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने उनकी शादी के लिए अपनी सहमति दिखाई है। उसके पिता ने प्रदर्श.डी-3 में यह भी उल्लेख किया है कि वे समाज से बहिष्कृत हो सकते हैं, इसलिए, यह आवश्यक है विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि राजेश तिर्की (अ.सा-1), जिनके क्वार्टर में दिलसाई और अभियोक्त्री रहती थीं, ने दिलसाई और अभियोक्त्री से पूछताछ की थी, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने आपस में विवाह कर लिया है। राजेश तिर्की (अ.सा-1) ने कहा है कि अभियोक्त्री क्वार्टर के बाहर स्थित नल से पानी भरती थी, उसका आचरण सामान्य था, एक दिन अभियोक्त्री के माता-पिता आए और उसे क्वार्टर से ले गए। इस साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि अभियोक्त्री ने दिलसाई के साथ विवाह किया है। उसने स्वयं शपथ पत्र प्रदर्श. डी-4 और पत्र प्रदर्श.डी-3 का निष्पादन और वास्तविकता को स्वीकार किया है। ऑगस्टाइन तिर्की (अ.सा-9), अभियोक्त्री के पिता ने कहा है कि अपीलकर्ता उसकी बेटी को 13-5-2002 को ले गए थे, लेकिन अपनी लिखित प्रतिवेदन प्रदर्श.डी-8 और रोजनामचा प्रदर्श.डी-8 में, उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि आरोपी व्यक्ति उसकी बेटी को 24-5-2002 को ले गए थे। इससे पता चलता है कि अभियोक्ता के पिता और माता ने शुरू से ही मामले को गढ़ने की कोशिश की है और उन्होंने मामले को गढ़ने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने अपनी बेटी को भी मामला गढ़ने के लिए मजबूर किया है। अभियोक्त्री के पिता और माता के साक्ष्य और दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने खुद को समाज से बहिष्कृत होने से बचाने के लिए मामले को गढ़ने की कोशिश की है, जिससे उन्हें कठिनाई हो सकती है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन घटना की तारीख से तीन महीने से अधिक समय के बाद दर्ज किया गया है और 18-7-2002 को अभियुक्त दिलसाई के घर से जाने के बाद भी, अभियोजन पक्ष ने 12-8-2002 को अर्थात् 24 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज की है, जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और यह अभियोजन के लिए घातक है।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्तियार अहमद अंसारी बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)[1],जगन.एम.शेषाद्रि बनाम टी.एन.राज्य और राजा राम बनाम राजस्थान राज्य के मामलों पर अवलंग लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि अभियोजन पक्ष का गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है और बचाव पक्ष के मामले का समर्थन करता है, तो अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया है और यदि बचाव पक्ष द्वारा उसके साक्ष्य पर अवलंग लिया है जाता है, तो यह अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी होगा। विद्वान अधिवक्ता ने आगे नारायण उर्फ नारन बनाम राजस्थान राज्य के मामले पर

1 2005 SSC (Cri) 1037

2. 2003 SCC (Cri) 1494

3. 2005 SCC(Cri) 1050

4. (2007) 3 SCC (Cri) 198

अवलंग लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य विरोधाभासों से भरे हैं, तो उसके साक्ष्य पर बिना किसी पुष्टि के भरोसा करना सुरक्षित नहीं है और अभियोजन पक्ष के कृत्रिम बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने सुधांशु शेखर साहू बनाम उड़ीसा राज्य के मामले पर अवलंग लिया है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभियोक्त्री के असामान्य आचरण और तर्कसंगत स्पष्टीकरण की अनुपस्थिति, चिकित्सा सहायता की अनुपस्थिति या अभियोजन मामले में कई ढीले सिरे हैं, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कर्नाटक राज्य बनाम मपिला.पी.पी.सूपी के मामले पर भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभियुक्त के अपने घर से जाने के बाद अलार्म बजाना, चोट का अभाव और एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए अभियोक्त्री के बयान की पुष्टि की आवश्यकता है और इस तरह की पुष्टि के अभाव में, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। आगे राजकुमार और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले पर भरोसा किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि बुनियादी दुर्बलताओं से पीड़ित अभियोक्त्री की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है। मोहन लाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में भी भरोसा किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य में चूक और विरोधाभास उसके संस्करण की सत्यता पर संदेह पैदा करते हैं और उसकी गवाही पर भरोसा करना असुरक्षित बनाते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने सदाशिव रामराव हड़बे बनाम महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य मामले में भी भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभियोजन पक्ष की अत्यधिक असंभाव्य कहानी पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। राधु बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में आगे भरोसा किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि ऐसे मामले में दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं है जहां अभियोक्त्री के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाए जाते हैं। कुलदीप के. महतो बनाम बिहार राज्य के मामले में भी भरोसा किया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पर्याप्त अवसर के बावजूद अभियोक्त्री न तो भागी और न ही पड़ोसियों की मदद ली उसके सक्ष्य को अविष्वसनी बनाता है अभियोजन पक्ष के आचरण से पता चलता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी, इसलिए अभियुक्त बलात्कार के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। रामदास व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले का हवाला दिया गया है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि " अभियोक्त्री उत्कृष्ट गुणवत्ता की गवाह प्रतीत नहीं होती है जिसकी एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है, अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री का साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं है, इसे स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि की आवश्यकता है, लेकिन उसके साक्ष्य की पुष्टि नहीं की गई है और इस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने के.आर. पुरुषोत्तमन बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी अवलंग लिया है जिसमें यह माना गया है कि विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा प्रत्येक और हर दोषपूर्ण परिस्थिति द्वारा षड्यंत्र को स्थापित करना आवश्यक है।

12. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और दिलदार सिंह बनाम पंजाब राज्य 14 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अवलंग लिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि तीन महीने की देरी को ठीक से समझाया जाए, तो अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, देरी कई कारणों से हो सकती है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आगे बथुला नागमल्लेश्वर राव एवं अन्य बनाम सरकारी अधिवक्ता द्वारा राज्य प्रतिनिधित्व के मामले में भरोसा किया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर की प्रति भेजने में देरी, यदि संतोषजनक ढंग से समझाया जाए, तो अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"एक में असत्य तो रुण में असत्य" की कहावत का भारत में कोई अनुप्रयोग नहीं है और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के प्रमुख भाग पर, यदि विश्वसनीय पाया जाता है, भरोसा किया जा सकता है। अधिवक्ता ने नेहरू उर्फ़ जवाहर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 16 के मामले का भी हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अभियुक्त की पकड़ से छूटने के समय शरीर पर पाए गए खरोंच के निशान सहमति के अभाव का मामला दर्शाते हैं।

13. दो मामले अपति हैं- सत्र प्रकरण.संख्या 58/2003 दिलसाई और दिल कुमार के खिलाफ और विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक.संख्या 14/2003 बृजेश तिवारी के खिलाफ दर्ज किये गए। अभियोजन पक्ष और निचली अदालत के निष्कर्ष के अनुसार, बृजेश तिवारी और दिल कुमार ने दिलसाई के साथ मिलकर षडयंत्र रचा और इसी षडयंत्र के परिणामस्वरूप, दिलसाई ने अभियोक्ता के साथ बलात्कार किया। तीनों अभियुक्तों ने षडयंत्र रचकर विवाह का एक दस्तावेज़ तैयार किया, अर्थात दिनांक 13-5-2002 का समझौता पत्र,प्रदर्श.डी-4 और लिखित बयान प्रदर्श.डी-1, जिससे पता चलता है कि अभियोक्ता, जो बालिग है, ने दिलसाई के साथ विवाह किया है और एक शपथ पत्र दिया है जो बलात्कार के मामले को नकारता है।

14. उपरोक्त अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को साबित करना आवश्यक है: -

(i) अभियुक्त दिलसाई ने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए;

(ii) सभी अभियुक्तगण षड्यंत्र में शामिल हुए और उक्त षड्यंत्र के परिणामस्वरूप उन्होंने अभियोक्त्री को समझौता प्रदर्श.डी-4 और कथन प्रदर्श.डी-1 निष्पादित करने के लिए मजबूर किया और दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग किया; और

(iii) अभियुक्त दिलसाई ने अभियोक्त्री के साथ उसकी इच्छा एवं सहमति के विरुद्ध यौन संबंध बनाए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के अपराध सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष और दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अभियोक्त्री (अ.सा-2) ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी अभियुक्त उसके नाना के घर आए और उसे अपनी मोटरसाइकिल से अंबिकापुर स्थित पुलिस लाइन्स क्वार्टर ले गए, जहाँ दिलसाई ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इसके बाद, अन्य अभियुक्त स्टाम्प पेपर और रजिस्टर लेकर आए और उन्होंने कई जगहों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तों ने उक्त दस्तावेज़ों का उपयोग अभियोक्त्री के लिखित बयान (प्रदर्श.डी-1), उसके पिता को लिखे पत्र और विवाह के शपथ पत्र (प्रदर्श.डी-4) के रूप में किया है।

16. अभियोजन पक्ष ने राजेश तिर्की (अ.सा-1), जिस घर में अभियोक्त्री को रखा गया था, उसके कथित अधिभोगी, अभियोक्त्री (अ.सा-2), अभियोक्त्री के पिता ऑगस्टीन तिर्की (अ.सा-9) और अभियोक्त्री की माता श्रीमती जश्मीना तिर्की (अ.सा-10) के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। बचाव पक्ष ने मंजुल श्याम सिन्हा (ब.सा-1)-नोटरी, प्रिसिदियस तिग्गा (ब.सा-2)-सहायक उपनिरीक्षक, एस.आर.भगत (ब.सा-3)- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) और कृपानिधान पांडे (ब.सा-4) से भी पूछताछ की है। हेड कांस्टेबल और यह साबित करने की कोशिश की कि अभियोक्त्री ने समझौते प्रदर्श.डी-4 पर हस्ताक्षर किए हैं। बचाव पक्ष ने अभियोक्त्री और अन्य गवाहों से विस्तार से प्रतिपरीक्षण की और यह साबित करने की कोशिश की कि अभियोक्त्री ने दिलसाई से शादी की है और वे पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे, शादी के तीन महीने बाद, अभियोक्त्री की माँ और पिता उसे ले गए और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और दिलसाई के खिलाफ झूठा आरोप लगाया। इससे पता चलता है कि दिलसाई ने अभियोक्त्री के साथ 13-5-2002 से 18-7-2002 तक यौन संबंध

बनाए और बनाती थी, जब वह पुलिस लाइंस क्वार्टर में रह रही थी। अभियोक्त्री ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने 24-5-2002 के पत्र, समझौते, पुलिस को लिखित बयान और अपने पिता को लिखे पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसने कहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया अभियोजन पक्ष ने आगे कहा है कि सभी आरोपी उसके नाना के घर आए और कहा कि उसके पिता की हालत गंभीर है और उसे मोटरसाइकिल में ले गए, वह दिल कुमार की मोटरसाइकिल पर बैठी थी और वे पुलिस लाइंस अंबिकापुर गए, जहां दिल कुमार रह रहे थे। दिल कुमार एक कांस्टेबल है। दिल कुमार और बृजेश तिवारी ने उससे कहा कि वे कुछ देर बाद आएंगे, उस समय, वह और दिलसाई उस क्वार्टर में एकमात्र व्यक्ति थे, दिलसाई ने उसे धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी कहा है कि सभी आरोपियों ने स्टांप पेपर और रजिस्टर पर उसके जबरन हस्ताक्षर ले लिए और दिल कुमार ने जाते समय उससे कहा कि अगर कोई पूछे तो वह कह दे कि वह उनकी बहन है और उसे धमकी दी। उसने आगे कहा है कि वह दो महीने तक पुलिस लाइंस में रही और 18-7-2002 को वह सीतापुर में अपने माता-पिता के घर चली गई 11-8-2002 को वह प्रतिवेदन दर्ज कराने अंबिकापुर पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसकी प्रतिवेदन दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपनी मर्ज़ी से दिलसाई के साथ गई है, इसलिए वे एफ़आईआर दर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद, उसने पुलिस अधीक्षक से मिलकर लिखित प्रतिवेदन दर्ज कराई और अंततः एफ़आईआर प्रदर्श.पी-1 दर्ज की गई। उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और डॉ. श्रीमती शशिकला जायसवाल (अ.सा-7) ने उसका परीक्षण कीया ।

17. राजेश तिर्की (अ.सा-1) की गवाही के अनुसार, उसके पिता हेड कांस्टेबल हैं और एक क्वार्टर उनके परिवार के कब्जे में था। 12-13 मई, 2002 को अपने क्वार्टर में मौजूद था और 22-23 दिनों के बाद जब वह अपने क्वार्टर में आया, तो उसने देखा कि उसका क्वार्टर खुला था और दिलसाई और अभियोक्त्री वहाँ रह रहे थे, दिलसाई ने उसे बताया कि उसने अभियोक्त्री से शादी कर ली है, वे खाना बना रहे थे। उन्होंने यह भी कहा है कि दूसरे दिन अभियोक्त्री के पिता और माँ आए और अभियोक्त्री को ले गए। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया है कि अभियोक्त्री उस क्वार्टर में रह रही थी जो पुलिस लाइंस में स्थित है जहाँ बहुत सारे क्वार्टर भी हैं, वह नल से पानी लाने जाती थी और उसका व्यवहार सामान्य था। उसने अभियोक्त्री से भी पूछा है जिस पर उसने उसे बताया कि उसने दिलसाई से शादी कर ली है।

18. ऑगस्टीन तिर्की (अ.सा-9) अभियोक्त्री के पिता ने अपने साक्ष्य में कहा है कि 31-5-2002 को वह अपनी बेटी को देखने के लिए उसके ससुर के घर गए थे, वह वहां मौजूद नहीं थी, उसके बाद, उन्हें पता चला कि आरोपी व्यक्ति झूठ बोलकर उसे ले गए हैं, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी की तलाश की और अंत में उन्होंने 1-6-2002 को प्रदर्श.पी-8 के तहत प्रतिवेदन दर्ज कराई। 18-7-2002 को अभियोक्त्री उनके घर आई। 10-8-2002 को अभियोक्त्री ने अपनी मां को घटना बताई, जिस पर अभियोक्त्री की मां ने उन्हें घटना के बारे में बताया। इसके बाद, वे प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह एस.डी.ओ.(पुलिस) के ड्राइवर से संबंधित एक घटना है और एस.डी.ओ. (पुलिस) से पूछे बिना, वे एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेंगे। इसके बाद, वे अपने अधिवक्ता से मिले, जिन्होंने उन्हें पुलिस अधीक्षक से मिलने की सलाह दी। पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर के निर्देश पर उनकी बेटी ने प्रतिवेदन दर्ज कराई। जब आरोपियों को पता चला कि उन्होंने प्रतिवेदन दर्ज करा दी है, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की।

19. अभियोक्त्री की माँ श्रीमती जश्मीना तिर्की (अ.सा-10) ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उनके पति 31-5-2002 को अभियोक्त्री से मिलने गए थे और उन्हें पता चला कि अभियोक्त्री गायब है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनके पिता सेमन एक्का ने उनके पति को बताया कि अभियुक्तगण अभियोक्त्री को यह कहकर मोटरसाइकिल पर ले गए कि उनके पिता यानी इस गवाह के पति की हालत गंभीर है। उनके पति ने थाने में प्रतिवेदन दर्ज कराई और 18-7-2002 को उनकी बेटी उनके घर आई। उस समय वह सदमे और डर में थी। वह भी बात करने की स्थिति में नहीं थी, 10-12 दिन बाद जब वह सामान्य हुई तो उसने घटना बताई, इसके बाद वे प्रतिवेदन दर्ज कराने पुलिस थाने गए।

20. राजेश तिर्की (अ.सा-1) की गवाही के अनुसार, दिलसाई और अभियोक्त्री उसके क्वार्टर में रहते थे, उनका व्यवहार सामान्य था, अभियुक्त (दिलसाई) और अभियोक्त्री ने उसे बताया कि उन्होंने एक दूसरे से विवाह कर लिया है और दूसरे दिन, उसके पिता आए और अभियोक्त्री को ले गए। ऑगस्टीन तिर्की (अ.सा-9) ने थाना में प्रदर्श.पी-8 रोजनामचा के तहत प्रतिवेदन दर्ज कराई है जिसमें यह दर्ज किया गया है कि 24-5-2002 को उसे पता चला कि उसकी बेटी (अभियोक्त्री) बिना बताए सेमन एक्का के घर से चली गई, जहाँ वह रह रही थी, फिर उसने पूछताछ की और पता चला कि अभियुक्त दिलसाई और बृजेश उसे सेमन एक्का के घर से ले गए थे। अपने प्रतिपरीक्षण परिच्छेद 8 में उसने स्वीकार किया है कि वह सरकारी कर्मचारी है परिच्छेद 10 में उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 1-6-2002 को उन्होंने टाइप की हुई प्रतिवेदन प्रदर्श.पी-8 दर्ज कराई थी। उन्होंने कथित पत्र प्रदर्श.डी-3 पर अपनी बेटी के हस्ताक्षर और निष्पादन से इनकार किया है। उन्होंने अभियोक्त्री के साथ दिलसाई के पूर्व संबंधों से भी इनकार किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि पुलिस लाइन अंबिकापुर शहर के मध्य में स्थित है। उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षण के परिच्छेद 17 में यह भी स्वीकार किया है कि उनकी बेटी 18-7-2002 को उनके घर आई थी, उस समय उसका बैग और सामान उसके पास था, उसने उस दिन कुछ भी नहीं बताया है, उस समय वह डरी हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अभियोक्ता की माँ श्रीमती जश्मीना तिर्की (अ.सा-10) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि पुलिस लाइन अंबिकापुर शहर के मध्य में स्थित है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी बेटी ने दिलसाई के साथ अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बनाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी बेटी सूचना के बाद भी बयान देने थाना नहीं गई है।

22. अभियोजन पक्ष (अ.सा-2) ने अपनी प्रतिपरीक्षण के परिच्छेद 10 में स्वीकार किया है कि साक्ष्य दर्ज करते समय वह बारहवीं कक्षा में पढ़ रही थी और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रा थी। उसने आगे स्वीकार किया है कि जब वह आरोपी द्वारा उठाए गए उसके नाना सेमन एक्का घर में मौजूद थे। परिच्छेद 14 में उसने कहा है कि उसने पुलिस लाइंस में रहने के दौरान खाना नहीं पकाया है और दिल कुमार बाहर से खाना देता था, जब दिल कुमार ड्यूटी पर जाता था, तो वह अकेले क्वार्टर में रहती थी। उसने परिच्छेद 21 में स्वीकार किया है कि जब वह पुलिस लाइंस में रह रही थी, तब वह देहात पुलिस थाना अंबिकापुर गई थी, जहां उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की प्रतिवेदन दर्ज कराई है और उसने लिखित बयान प्रदर्श.डी-1 दर्ज कराया है, लेकिन उसने कहा है कि आरोपी ने उसे यह लिखने के लिए मजबूर किया है। उसने शपथ पत्र के निष्पादन से भी इनकार किया है। अपने प्रतिपरीक्षण के परिच्छेद 26 में, उसने शपथ पत्र में हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है। पैरा 37 में उसने पुलिस अधिकारियों और पुलिस कांस्टेबलों की पुलिस लाइंस में आवाजाही को भी स्वीकार किया है। परिच्छेद 38 में उसने स्वीकार किया है परिच्छेद 61 में उसने कहा है कि उसने एक सलवार सूट पहना हुआ था, उसने कोई अन्य कपड़े नहीं खरीदे हैं और आरोपी ने भी उसे कोई अन्य कपड़े नहीं दिए हैं।

23. अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उसने बयान, अपने पिता को पत्र और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर जैसे दस्तावेजों को स्वीकार किया है, लेकिन उसने कहा है कि सभी दस्तावेज मजबूरी में तैयार किए गए हैं। अभियोजन पक्ष की आयु लगभग 19 वर्ष थी। अभियुक्तगण 13-5-2002 को सेमन एक्का के घर गए और उसे यह कहकर ले गए कि उसके पिता गंभीर हैं और जब उसके पिता ने 24-5-2002 को पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि वह बिना बताए सेमन एक्का के घर से चली गई है, तब उन्होंने 1-6-2002 को प्रदर्श.पी-8 के तहत प्रतिवेदन दर्ज कराई। जब सेमन एक्का को पता चला कि अभियोक्त्री के पिता यानी उनके दामाद गंभीर हैं और आपात स्थिति है, इसलिए अभियुक्तगण उनकी पोती को उनके घर से ले गए हैं, तब भी उन्होंने अभियोक्त्री के पिता से संपर्क करने की कोशिश नहीं की है या वे अभियोक्त्री के पिता के घर नहीं गए हैं। अभियोजन पक्ष ने सेमन एक्का से पूछताछ नहीं की है। अभियोक्त्री ने 13-5-2002 को सेमन एक्का का घर छोड़ दिया था, लेकिन अपनी लिखित प्रतिवेदन और रोज़नामचा प्रदर्श.पी-8 में अभियोक्त्री के पिता पुलिस को सूचित किया है कि उसकी बेटी 24-5-2002 को सेमन एक्का का घर छोड़कर चली गई है। जब अभियोक्त्री ने 13-5-2002 को सेमन एक्का का घर छोड़ दिया था, तो उसने पुलिस को गलत सूचना क्यों दी, यह ज्ञात नहीं है। अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि उसके पिता की प्रतिवेदन के बाद, वह पुलिस स्टेशन गई और लिखित बयान दिया, जिससे पता चलता है कि उसने पुलिस को सूचित किया था कि उसने दिलसाई से अपनी इच्छा से विवाह किया है और उसने शपथ पत्र भी तैयार किया है।

24. अभियोक्त्री ने अपने साक्ष्य में कहा है कि पुलिस लाइन, अंबिकापुर में रहने के दौरान उसने खाना नहीं पकाया है, दिल कुमार बाहर से खाना मंगवाता था। लेकिन राजेश तिर्की (अ.सा-1) ने कहा है कि उसने अभियुक्त दिलसाई और अभियोक्त्री को खाना बनाते देखा था, अभियोक्त्री ने उसे बताया कि उसने दिलसाई से शादी कर ली है और अभियोक्त्री नल से पानी लाती थी। अभियोक्त्री के पिता द्वारा प्रतिवेदन दर्ज कराए जाने के बाद, अभियोक्त्री थाना गई जहां उसने लिखित बयान दिया कि उसने दिलसाई से शादी कर ली है, हालांकि उसने कहा है कि अभियुक्त ने उसे उक्त लिखित बयान लिखने के लिए मजबूर किया था। अभियुक्त दिलसाई पुलिस विभाग में ड्राइवर है, वह अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के यहां काम करता था, वह रोजाना अपनी ड्यूटी पर जाता था और पूरा दिन अभियोक्त्री पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर में रहती थी। अपीलार्थी ने उसे ताले में नहीं रखा था, वह स्वतंत्र थी और अन्य व्यक्तियों से सहायता लेने की स्थिति में थी। उसके साक्ष्य के अनुसार, वह 18-7-2002 को अपीलार्थी का घर छोड़कर चली गई थी, हालाँकि राजेश तिर्की (अ.सा-1) ने कहा है कि अभियोक्त्री के माता-पिता आए और उसे ले गए। उसने यह नहीं बताया है कि 18-7-2002 को वह ताले में बंद थी, इसलिए वह घर से भागने की स्थिति में थी। वह 13-5-2002 से 18-7-2002 तक लगभग दो महीने से अधिक समय तक दिलसाई के साथ पुलिस लाइंस में रही, लेकिन उसने कभी किसी पड़ोसी से शिकायत नहीं की। उसने यह तो बताया है कि वह कपड़े धोती और नहाती थी, लेकिन उसने यह भी बताया है कि उसके पास सिर्फ़ एक ही जोड़ा कपड़ा था और वह दो महीने तक एक ही जोड़ा पहने रही, जबकि उसके पिता (अ.सा-9) ने अपनी गवाही के परिच्छेद 17 में कहा है कि अभियोक्त्री अपने बैग और सामान के साथ उसके घर आई थी। जब अभियोक्त्री के पास कोई कपड़ा या सामान नहीं था, तो वह अपने पिता के घर कैसे गई? बैग और सामान के साथ घर का पता नहीं है। जब वह 13-5-2002 को अपने नाना के घर से निकली, तो उसके पिता ने यह क्यों प्रतिवेदन दी कि उसने 24-5-2002 को सेमन एक्का के घर को छोड़ दिया है? जब वह अपना बयान देने के लिए थाना गई, तो उसने सही बयान क्यों नहीं दिया? उसके पिता और माँ ने एफआईआर दर्ज करने के बाद भी उसकी उपस्थिति क्यों छिपाई और उसका बयान दर्ज करने से परहेज किया। उसने 18-7-2002 को दिलसाई का घर छोड़ दिया और उसके साक्ष्य और उसके माता-पिता के साक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के अनुसार, उसने दिलसाई के घर छोड़ने के 22 दिन बाद 10-8-2002 को घटना बताई। उसके माता-पिता ने कहा है कि उस समय, अभियोजन पक्ष डर और सदमे में था। लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं दी है कि 18-7-2002 को उसके डर का कारण क्या था जब उसने दिलसाई का घर छोड़ा। उस समय उसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी और 10-8-2002 को वह कैसे निडर हो गई, यह भी ज्ञात नहीं है। उसके पिता ने थाना में प्रतिवेदन दर्ज कराई है, उसके पिता ने पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया या उसके पिता ने सदमे और भय के इलाज के लिए डॉक्टर से संपर्क क्यों नहीं किया। ये अभियोक्त्री और उसके माता-पिता के साक्ष्य में भौतिक विरोधाभास, चूक और विसंगतियाँ हैं।

25. अभियोक्त्री के साक्ष्य की स्वतंत्र स्रोत से पुष्टि हमेशा आवश्यक नहीं होती। पुष्टि कानून का नियम नहीं, बल्कि सावधानी और विवेक का नियम है। यदि अभियोक्त्री के साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता के हैं, तो किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, यदि उसके साक्ष्य में विरोधाभास, चूक और भौतिक विवरणों पर विसंगतियां हैं, तो भौतिक विवरणों पर पुष्टि आवश्यक है। इस मामले में, घटना के समय अभियोक्ता की आयु लगभग 19 वर्ष थी और वह संबंधित समय में कक्षा-10 में पढ़ रही थी। उसने अभियुक्तों के साथ अपने नाना का घर छोड़ दिया। वह दो महीने से अधिक समय तक दिलसाई के साथ रही। दिलसाई ने इन दो महीनों के दौरान उसके साथ यौन संबंध बनाए। इस अवधि के दौरान वह किसी ताले और चाबी के नीचे नहीं थी, खासकर जब दिलसाई ड्यूटी पर होती थी और क्वार्टर से बाहर होती थी, वह उस क्वार्टर में रहती थी जो पुलिस लाइन में स्थित था जहां अन्य पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कांस्टेबल अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहे थे लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया है और न ही किसी अन्य व्यक्ति से कोई शिकायत की है। उसने कहा है कि जब वह दिलसाई के साथ थी, तब उसने केवल एक जोड़ी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जब वह अपने माता-पिता के घर गई, तो वह बैग और सामान लेकर गई। यह विरोधाभासी साक्ष्य दर्शाता है कि अभियोक्ता सच्चाई छिपा रही है। उसका साक्ष्य विश्वास पैदा नहीं करता और विश्वसनीय नहीं है। भौतिक विवरणों की पुष्टि के अभाव में, उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों और बचाव पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों से पता चलता है कि अभियोक्त्री ने दिलसाई से विवाह किया था और एक समझौता किया था, वह दिलसाई के साथ उसके घर में रह रही थी। जब वह अपने माता-पिता के घर आई, तो वह अपने पिता के नियंत्रण में थी और उसने अभियुक्तों के विरुद्ध प्रतिवेदन दर्ज कराई। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है और अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह उत्पन्न करता है। यह एक दाण्डिक मामला है और अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करे, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

27. अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन पक्ष (अ.सा-2) के साक्ष्य का अवलंग लिया है, जिस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार गलत निष्कर्ष पर पहुँचा है। अपीलार्थी दिलसाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) और 120बी के अंतर्गत तथा अपीलार्थी दिल कुमार और बृजेश तिवारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी सहपठित धारा 376(1) के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि, जिस पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, टिकाऊ नहीं है।

28. उपरोक्त कारणों से, सत्र प्रकरण क्रमांक.संख्य 58/2003 और विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक .संख्या 14/2003 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य हैं और तदनुसार, उन्हें अपास्त किया जाता है। दाण्डिक अपील स्वीकार

की जाती हैं और अपीलार्थी को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हो, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-

टी.पी.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By- Yogita Naik, Advocate